फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मांगीलाल पुत्र धन्नाराम जाति माली, सोजत हद सोजत		हीरालाल पुत्र [illegible] अर्फ [illegible] जाति माली हद सोजत

किस्म मुकदमा :– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92A, 188 आर.टी.एक्ट 1955, मु.नं.: 33/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
14/08/20	वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा ~~88~~/92A/188 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 22/10/20 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत	361 / 17/8/20
22/10/20	अधिवक्ता वादी उप०। प्रतिवादीगण को [illegible] [illegible], प्रा. मि. है। प्रति संख्या 1, 3 से 5, 6 व 7 तथा 8 से 11, 15 व 18 की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया प्रा. मि. है। प्रतिवादी संख्या 2, 11 व 19 के [illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की अनुपस्थित रहे हैं। अधि० वादी प्रति संख्या 12, 13, 16 व 17 की पुन: तलबी [illegible] व [illegible] पते से किये जाने हेतु तलबाना/[illegible] समन पेश करें। जेसा होने पर जारी होवे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 31.1.21 को पेश हो। उप० सोजत	
05/01/2021	पुकार उप० अधिवक्ता मय वादीगण उप०। अधिवक्ता मय वादीगण ने प्रा० पत्र बाबत वाद अन्तर्गत धारा 88, 92A, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को जरिये विड्रोवल खारिज फरमाने का पेश किया, सा० मि० है। अधि० वादीगण मय वादीगण ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र ~~[illegible]~~ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत खण्ड II के खसरा० 3254 रकबा 0.6400 है० में हम वादीगण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
	का 1/2 हिस्से पर एव हमारे पिता धन्ना पुत्र उच्छा का कभी भी कब्जा कायम नहीं रहा। उक्त कृषि भूमि शीवराज पुत्र हेमा जी के द्वारा 771/- रुपये में दिनांक 12/02/65 को खरीद की गई थी। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 188 स्वीकृत किया गया था, जो सही है। वादी गण एवं प्रतिवादीगण के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। वादी गण उक्त प्रस्तुत वाद को आगे चलाना नहीं चाहते है तथा वाद को जरिये विड्रोवल खारिज करवाना चाहते है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद को जरिये विड्रोवल खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है। अतः अधिवक्ता एंव वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद जेरे धारा 88, 92A, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को जरिये विड्रोवल खारिज करने के प्रार्थना पत्र एवं इस हेतु आदेशिका पर किये गये हस्ताक्षर के आधार पर वादीगण मय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद को जरिये विड्रोवल खारिज किया जाता है। जवाबी केस शुमार हेतु नम्बर से कम हो। बाद तकमील जरूरी दाखिल दफ्तर / रेकर्ड भण्डार जमा हो। उप खण्ड अधिकारी [illegible]	